

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 356 / 2019-20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

सुमंजन हेरेंज

अनिता हेरेंज

- विक्रेता

- क्रेता

आदेश की क्रम
संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी,
तारीख सहित

30.05.20

आदेश

आवेदक सुमंजन हेरेंज पिता स्व० सुचित हेरेंज ग्राम-मालगो टंगराटोली, थाना कर्रा, जिला खूँटी ने अनिता आईन्द पति बनार्ड आईन्द ग्राम-लापा बन टोली, पोस्ट-लापा सरना टोली, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

| ग्राम | थाना नं० | खाता नं० | खेसरा सं० | रकबा (एकड़ में) |
|-------|----------|----------|-----------|-----------------|
| मालगो | 117 | 19 | 767 | 0.48 |

अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 560 दिनांक 22.05.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता एवं क्रेता के द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण भूमि बिक्री की अनुशंसा नहीं की गयी है।

अतः अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आलोक में वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।